

को उपस्थित हेतु एक अवकाश दिया जाता है। प्रभावली
वस्ते परकार उपस्थिति एवं प्रतिवादी अवकाश दिनांक 8/4/24
को पेश हो।

8.4.24

प्रभावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता
अनुपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी पूर्व में भी अनुपस्थित रहे
हैं। न्यायालय द्वारा कूक-कूक कर तीन बार आवाज
लगावार्त्त गार्त्त बावजूद इल्लेके कोर्टे उपस्थित नहीं हुआ है।
न हीं न्यायालय समय समाप्ति तक कोर्टे उपस्थित नहीं हुआ।
जिससे जाहिर है कि परकारान अपने बाद-प्रतिवादी के प्रति
गंभीर नहीं है तथा बाद चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः आदेश ७ नियम ३ के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण
को अनुपस्थिति में अदम हाजरी- अदम पैरवी में बरिज बिदा
जाता है।

निर्णय खेर इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार
नम्बर से कम है।

(रियासबी)
RAS

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर